न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 20/2016

उनवान दायरा दिनांक 24.08.2016

1. माणकचंन्द्र उम्र 58 बर्ष पुत्र घासी जाति लुहार निवासी मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)।
2. पुनियाबाई 56 बर्ष पत्नि माणकचन्द्र जाति लुहार निवासी मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति अहिर निवासी मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
2. करण पुत्र रामकिशन जाति अहिर निवासी मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक — 29.11.2019

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में मौजा ग्राम मुण्डियर तहसील शाहाबाद में ख0न0 23/13 रकबा 4.03 बीघा, किस्म बा0च0 कृषि भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया है। विवादित आराजी वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है जिसे वादीगण काफी समय से बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहै है यह भूमि नेश्नल हाईवे से लगी आ रही है, जो किमती हो गई है, इस कारण प्रतिवादीगण जबरन उक्त विवादित आराजी के आगे ढावा बनाना चाहते है इस हेतु प्रतिवादीगण ने सन 2014 में पत्थर डाल दिये थे जिसकी रिपोर्ट वादीगण ने थाने में की जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्व अति0 मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट महोदय शाहाबाद कि यहा मुकदमा चला जिसमें प्रतिवादीगण को दोषी करार दिया जाकर सजायाव किया गया, मौके पर विवादित आराजी समतल नही होने के कारण वादीगण समतलीकरण का कार्य करा रहें है, दिनांक 1.08.2016 को वादीगण विवादित आराजी में अपने ट्रैक्टर से समतलीकरण का कार्य कर रहें थे, तो प्रतिवादीगण खेत पर पहुचकर लडाई झगडा करने लगे और कहने लगे की इस जमीन पर तो

उपं खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

हम करके रहेगें, इस तरह प्रतिवादीगण अवैधानिक तरिके से बिना किसी अधिकार के वादीगण को विवादिज आराजी से बेदखल कब्जा करना चाहते है, प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे में दखलन्दाजी करने एवं वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का खतरा पैदा हो गया, इस कारण वादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने हेतु उक्त उनवादी वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन दौराने दावा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन संभव नही हो सकेगा तथा प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा इस कारण प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थीगण ता फैसला वाद अस्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने के हक़दार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु दिनांक 24.07.2018 को वकील अप्रार्थी एवं स्वयं अप्रार्थी उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण 1 और 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

,एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण :— विवादित आराजी जमावन्दी सम्वत 2069—2072 के अनुसार माणकचन्द्र पुत्र घासी, पुनियाबाई पत्नि माणकचन्द्र के नाम दर्ज है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तगार है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

2.सुविधा का सन्तुलन :— प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. अपूर्णीय क्षति :— प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण द्वारा बिना हक एवं अधिकार के उनकी आराजी में दखलन्दाजी कर रहे है। यदि प्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

उर्युक्त विवेचन के के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद ग्राम मुण्डियर तहसील शाहाबाद आराजी खसरा नं0 23/3 रकवा 3.03 बीघा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण को बेदखल ना करें प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें ना ही किसी अन्यों से करावें।
निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner